न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार शर्मा, RAS.

पत्रावली संख्या : 39/17 (वाद)

1. श्रीमती बसन्तीबाई पत्नी बंशीलाल जोशी ब्राहम्ण निवासी कलवल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...........वादीया

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता वेणीराम अहीर निवासी कलवल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर ।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री दुर्गाशंकर मेनारिया, अधिवक्ता वादीया

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 24.05.18

1. वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा कलवल पटवार मण्डल वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 630 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम 3450/3700 हिस्से से एवम प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 250/3700 हिस्से से अंकित है जिसकी नकल जमाबन्दी पेश की गई है । निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी पहले नवला पिता केवल अहीर के खातेदारी हक एवम आधिपत्य को थी और खातेदार नवला को अपने जायज जरूरीयात में रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त वर्णित आराजियात में से 3450/3700 हिस्सा यानि 1 बीघा 14½ बिस्वा भूमि 6,00,000/– रूपये के प्रतिफल में वादीया ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2014 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके पड़ौस इस प्रकार है कि पूर्व में – लक्ष्मण भगा पिता भाना अहीर की कृषि भूमि, पश्चिम में – रास्ता कच्चा कलवल से मंगलवाड़ का, उत्तर–भैरूलाल पिता गंगाराम अहीर की कृषि भूमि, दक्षिण–इसी आराजी की शेष भूमि रकबा 2½ बिस्वा का छोड़ा गया रास्ता, पीछे स्वयं विक्रेता की अन्य आराजियात में जाने हेतु जिसकी चौड़ाई 12 फीट एवम लम्बाई करीबन 250 फीट । उक्त वर्णित आराजी क्रय करने के बाद

उपरोक्त वर्णित पड़ौसों के बीच कीभूमि पर वादीया ने कब्जा प्राप्त किया तब से वादीया का उक्त भूमि पर कब्जा हो उपयोग उपभोग चला आ रहा है और जरिये नामान्तरकरण संख्या 759 से यह भूमि वादीया के नाम खातेदारी हक से अंकित हो चुकी है । इसी तरह खातेदार नवला ने उक्त आराजी का शेष रकबा 2.50 बिस्वा यानि 250/3700 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 को विक्रय कर दिया यह भूमि भी नामान्तरकरण संख्या 795 से प्रतिवादी संख्या–1 के नाम अंकित हो चुकी है ।

2. वादीया द्वारा निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि का वादीया एवम प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य हिस्से, कब्जे अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है जिससे वादीया को ऋण लेने, लगान जमा कराने, भूमि का विकास करने में दिक्कत आ रही है जिससे वादग्रस्त भूमि का वादीया एवम प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य कानूनन विभाजन कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

3. बिनाय वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 12.05.17 को पैदा हुआ जब कि वादीया ने प्रतिवादीगण को विभाजन कराने के लिये कहा तो उन्होनें कहा कि कानूनी कार्यवाही कराओ तबसे वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

4. अतः वादोया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद वर्णित आराजियात का विभाजन हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन कराया जाकर वादीया के हिस्से कब्जे की भूमि को वादीया के नाम स्वतंत्र खाते कराया जाकर नक्शा ट्रेस में दर्ज करायी जावे ।

5. वादीया द्वारा वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 तथा रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 21.11.14 की प्रति संलग्न की गई है ।

6. प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार–2018'' कैम्प कोर्ट ''वरणी'' पर पेश हुआ । अधिवक्ता वादीया, वादीया तथा प्रतिवादीगण उपस्थित हुए । पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजियात का हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । चूंकि सभी पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है इस कारण से वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

7. अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार मण्डल वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 630 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि का वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे । बॅटवारा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/– रूपये शुल्क पर बॅटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के हिस्से/कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्तावित किया जावे । वादीया का खाता स्वतंत्र रूप से कायम किया जावे । सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर यथासंभव उनकी उपस्थिति में बॅटवारा प्रस्तावित किया जावे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम में वर्णित प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जावे । विभाजन सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किये जावे । फीस कमिश्नर वादीया मौके पर अदा करें।

8. प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय सरे ईजलास कैम्प कोर्ट '' **वरणी** '' पर सुनाया गया ।

(अनिल कुमार शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
जिला उदयपुर ।